

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,**  
**जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक 3173 / एफ-7-85/31/एस-2/2024,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 23/08/2024

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कछार  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** मुंगेली जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत निर्मित एनीकट/स्टापडेम के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-2698/बो.प्र./AA/TS/ह.क./2024/1606, दि.23.03.2024.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा मुंगेली जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत निर्मित एनीकट/स्टापडेम के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत रु. 251.85 लाख (रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख पच्चासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजनाओं की उपयोगिता बनाये रखने एवं आवश्यकता के समय गेटों का संचालन करने के लिये गेटों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट मांग संख्या-45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भू-तल जल, 0101, राज्य आयोजना (सामान्य), (5059) एनीकट/स्टापडेम निर्माण #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की 70वीं बैठक दिनांक 02.08.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(प्रेमसिंह घरेन्द्र)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 3174 / एफ-7-85 / 31 / एस-2 / 2024,  
प्रतिलिपि :-

અટલ નગર, દિનાંક 23/08/2024

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मंडल, सकरी, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, वि./यां.लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. આદેશ ફોલ્ડર ।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
संसाधन विभाग